



भारत में भ्रष्टाचार

चन्दन कुमार सिंह

शोध अध्येता— समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 10.08.2020, Revised- 14.08.2020, Accepted - 19.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और अब ताजा हाउसिंग लोन घोटाला । आलम यह है कि जाँच एजेंसियाँ जब तक किसी घोटाले की तह तक पहुँचती हैं, दूसरा घोटाला सामने आ जाता है । क्या साहब, क्या बंदे सभी भ्रष्टाचार के आगोश में समा चुके हैं । सुविधाभोगी होते समाज को भ्रष्टाचार का अजगर निगल रहा है । यह असाध्य रोग अब हमारे देश के आर्थिक महाशक्ति बनने में भी बड़ा अवरोध साबित हो रहा है । इससे हर साल अर्थव्यवस्था को करोड़ों रूपये की क्षति लगती है । सेना, न्यायपालिका और खुफिया जैसे अपेक्षाकृत साफ-सुथरे और दाग रहित संस्थानों में भी भ्रष्टाचार की नई प्रवृत्ति ने आम आदमी को अवाक किया है । भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ।

कुंजीभूत शब्द— राष्ट्रमंडल, घोटाला, एजेंसियाँ, भ्रष्टाचार, आगोश, सुविधाभोगी, असाध्य, आर्थिक, महाशक्ति।

जड़ों का जमाव— आजादी के बाद देश में 1950-90 के बीच समाजवाद से प्रेरित नीतियाँ लागू की गईं। इसके तहत अर्थव्यवस्था को मजबूती से नियंत्रण में रखा गया। संरक्षणवाद और सार्वजनिक इकाइयों को पोषित किया गया। लिहाजा लाइसेंस राज का उदय हुआ। जिससे आर्थिक वृद्धि मंद पड़ी और भ्रष्टाचार का बोलबारा बढ़ा।

अफसरशाही— ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार देश के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपना काम कराने के लिए रिश्वत देना या प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ता है ।

हर साल देश के ट्रक वाले करीब 250 अरब रूपये की घूस देते हैं ।

2009 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश में अफसरशाही की कार्य कुशलता का स्तर एशिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों मसलन सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और इंडोनेशिया की तुलना में दोगुना दर्जे का है ।

भूमि और संपत्ति— अधिकारी राज्य की संपत्ति को ही चुरा लेते हैं । बिहार में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा रियायती दरों पर गरीबों को दी जाने वाली खाद्य सहायता चुरा ली जाती है ।

पूरे देश में पनप चुका भूमाफिया राजनीतिज्ञों, अफसरों, बिल्डरों की मदद से अवैध तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर उसको गैरकानूनी ढंग से बेच देता है ।

1990 के बाद के चर्चित घोटाले

- बोफोर्स घोटाला (1990)
- पशुपालन घोटाला (1990)

- हवाला घोटाला (1993)
- हर्षद मेहता घोटाला (1995)
- दूरसंचार घोटाला (1996)
- चारा घोटाला (1996)
- केतन पारेख स्कैंडल (2001)
- बराक मिसाइल डील स्कैंडल (2001)
- तहलका स्कैंडल (2001)
- ताज कोरीडोर केस (2002-2003)
- तेलगी घोटाला (2003)
- तेल के बदले अनाज घोटाला (2005)
- कैश फॉर वोट स्कैंडल
- सत्यम घोटाला
- काले धन को सफेद करना (मधु कोड़ा-4,000 करोड़ रूपये)
- आदर्श सोसायटी घोटाला
- राष्ट्रमंडल खेल घोटाला

टैंडर और कांट्रैक्ट प्रक्रिया— नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है । सरकारी अधिकारी बोली लगाने में अपने चहेते चुनिंदा लोगों के हक में टैंडर जारी कर देते हैं सरकार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में तो कंस्ट्रक्शन माफिया का बोलबाला है ।

स्वास्थ्य— सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार दवाओं की गैर मौजूदगी, मरीज को भर्ती करने की जिद्दोजिहद, डॉक्टरों की अनुपलब्धता से जुड़ा है ।

न्यायपालिका— ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मुकदमों के निपटारे में होने वाली देरी, जटिल न्यायिक प्रक्रिया और जजों की कमी के कारण न्यायिक तंत्र में



भ्रष्टाचार पनप रहा है ।

सशस्त्र सेना- सेना में भी भ्रष्टाचार अचंभित करता है । हाल के वर्षों में सुकना भूमि घोटाले में तो सेना के चार लेटिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों पर आरोप लगे हैं ।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक अध्ययन के मुताबिक सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली 11 बुनियादी सुविधाओं मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका और पुलिस वगैरह में भ्रष्टाचार को यदि मौद्रिक मूल्यों में आँका जाए, तो यह करीब 21,068 करोड़ रुपये का होगा ।

चीन और अन्य अल्प विकसित देशों की तुलना में देश में व्यापार शुरू करना एक चुनौती से कम नहीं है । बिजनेस शुरू करने के लिए अनुमति मिलने में ही लंबा वक्त खर्च हो जाता है ।

भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास :

सूचना का अधिकार- भ्रष्टाचार पर लगाम कसने व सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना ।

लोक आयुक्त (ऑम्बड्समैन)- लोक आयुक्त भ्रष्टाचार निरोधक संगठन है । ये संस्था स्कैंडेनेविया देशों की तर्ज पर बनाई गई है । देश के सभी राज्यों में एक समान रूप से काम करने के लिए तीन सदस्यीय लोक आयुक्त के गठन का प्रस्ताव संसद में लंबित है ।

भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले- चाहे वो मंजूनाथ हों या सत्येंद्र दूबे, भ्रष्टाचार को उजागर करने में ये व्हिसलब्लोअर्स अहम भूमिका निभाते हैं । हालांकि देश में अभी उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है ।

निजी क्षेत्र द्वारा किए गए उपाय- फिय पिलर डॉट ओआरजी, टाटा टी का जागो रे, एक अरब वोटर्स और नो ब्राइव डॉट ओआरजी जैसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है ।

घोटालों की बानगी- नीलामी की जगह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधर पर पूर्व दूरसंचार मंत्री डी राजा द्वारा आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश के खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का चुना लगा है। ऐसे ही हुए बड़े घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। आइए, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की धनराशि के मायने पर डालते हैं एक नजर-

1.76 लाख करोड़ रुपये	साल 2010-11 के लिए देश का पूरा खा बजट
	देश के कुल आग बजट का छठा भाग
	केंद्र सरकार द्वारा अना किए जाने वाले खाज 2.49 लाख करोड़ रुपये के बीच का चौथा भाग
	इस सबल सार्वजनिक उपकरणों के मुनाफे और लगानों से सरकार को मिले धन 51,209 करोड़ रुपये के तीन गुने से अधिक
	सरकार के स्वास्थ्य बजट 25,154 करोड़ का करीब सात गुना
	सरकार के शिक्षा बजट 49,904 करोड़ रुपये का तीन गुना

घोटालों की बानगी :

66 हजार अरब रुपये - स्विस् बैंक में जमा देश की धनराशि । इस जमा काले धन के मामले में दुनिया के सभी देशों में हम अब्वल हैं । हमारे ऊपर कुल विदेशी कर्ज की 13 गुना है यह रकम ।

9.6 लाख करोड़ रुपये - आजादी के बाद से 2008 तक अवैध तरीकों से विदेश भेजी गई रकम । ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार आज की तारीख में इस धनराशि की कीमत करीब 21 लाख करोड़ रुपये होगी ।

भ्रष्टाचार सूचकांक- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सूचकांक में हम सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में शुमार हैं । साल दर साल स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ रही है ।

साल	रैंक	स्कोर
2001	71	2.7 (91 देशों में)
2003	71	2.7 (102 देशों में)
2004	83	2.8 (133 देशों में)
2005	90	2.8 (145 देशों में)
2006	88	2.9 (158 देशों में)
2007	70	3.3 (163 देशों में)
2008	72	3.5 (179 देशों में)
2009	84	3.4 (180 देशों में)
2010	87	3.3 (178 देशों में)

बने स्वतंत्र जाँच एजेंसी- सूचना के अधिकार कानून से आज बड़े-बड़े घोटालों को उजागर किया जा रहा है । मामले तो उजागर हो जाते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती । देश में मौजूद एजेंसी सीबीसी के पास उतने अधिकार नहीं है और सीबीआई सरकार के अधीन काम करती है । भ्रष्टाचार मामलों में घोटालेबाजों को सजा दिलाने के लिए एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी की जरूरत है । यह एंटी भ्रष्टाचार एजेंसी सरकारी कामकाज पर भी निरानी रख सकेगी ।

गद्दी छोड़े सरकार- भ्रष्टाचार की वजह से ही देश कंगाल है। 83 करोड़ लोगों से मूलमूत सुविधाएँ दूर हैं। सरकारें यदि भ्रष्टाचार का इलाज नहीं कर सकती तो गद्दी छोड़ दें। देश को लूटने के लिए सरकारों को नहीं बैठाया गया। सीबीआई, केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाएँ भी सरकारों की कठपुतली हैं। स्विस् बैंक एसोसिएशन ने कई लाख करोड़ जमा होने की बात कबूल की है, दूसरे बैंकों में भी अरबों हैं। ये जनता का लूटा पैसा है।

	विद्यमान खाज				विद्यमान क्लेअर कर्ज (क्रेडिट) की राशि				
	मिलियन डॉलर	हजार करोड़	करोड़ डॉलर	हजार करोड़	क्रेडिट और ऑनबैंक	क्रेडिट और ऑनबैंक	निर सरकारी कर्जों की कुल राशि		
2004	769	147	45	32	43	177	363	2566	859
2005	414	128	37	6	33	32	314	2427	634
2006	427	127	78	6	61	60	217	2814	621
2007	374	579	38	4	80	59	580	2844	1119
2008	736	489	53	12	106	97	369	2848	753

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो



संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० बीरकेश्वर प्रसाद सिंह : राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय शासन, स्टुडेण्ट्स फ्रेण्ड्स, गोविन्द मित्रा रोड, पटना ।
2. डॉ० रणविजय सिंह : भारतीय लोक प्रशासन एवं डॉ० उमेश सिंह ।
3. महेश कुमार बर्णवाल एवं शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी : भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, कोसमोस प्रकाशन, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।
